संख्या: 287 /2023/ 3910 /चार-2023

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 29 सितम्बर, 2023

विषय: उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ में नलकूप की डीप बोरिंग कार्य कराये जाने हेतु रू0 78.83 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 2064/सं0नि0-19-स्टोर(एस0एन0ए0डी0बी0) /2022-23 दिनांक 12.09.2023 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ में नलकूप की डीप बोरिंग कार्य कराये जाने हेतु रू0 78.83 लाख (रूपये अठहत्तर लाख तिरासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व संस्कृति निदेशालय/ उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी/ कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम में अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय/ उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का होगा।

(4) कार्यदायी संस्था द्वारा उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ के अन्तर्गत प्रेक्षागृह, प्रशासनिक भवन, गेस्ट हाउस व भवन के सम्पूर्ण परिसर की पाइपलाइन को चेक कराते हुए क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को ठीक कराया जायेगा। साथ ही पाइपलाइन की ब्लॉकेज / लीकेज को ठीक कराते हुए वाटर हेड टैंक की सम्पूर्ण क्लीनिंग सुनिश्चित की जायेगी।

(5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के अधीन एवं व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजना के निर्माण का सम्पूर्ण कार्य चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-800-अन्य व्यय-37-संगीत नाटक अकादमी के भव का सुदृढ़ीकरण- 24 वृहत् निर्माण कार्य मद से वहन किया जाएगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 287 /2023/ 3910 (1) /चार-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- निदेशक, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त(ई-7)अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।